न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 39/2018/अपील/एल.आर.एक्ट/कोटा
दायरा दिनांकः 5.4.2018
अन्तर्गत धाराः 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1. दुर्गाशंकर आत्मज रामकिशन जाति मीणा ग्राम आल्याहेडी तहसील कनवास जिला कोटा–राज0।

...अपीलाट

बनाम

1 मदनलाल आत्मज गोविन्दा जाति मीणा निवासी ग्राम आल्याहेडी तहसील कनवास जिला कोटा–राज0।
2 गुलाब चन्द आत्मज किशनलाल जाति मीणा निवासी ग्राम आल्याहेडी तहसील कनवास जिला कोटा–राज0।

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री महेश योगी अभिभाषक अपीलाट
श्री विद्याशंकर गोस्वामी अभिभाषक रेस्पो0 कम–1

निर्णय

दिनांक 8.8.2018

अपीलार्थी ने न्यायालय तहसीलदार कनवास जिला कोटा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा मिसल नं0 37/एलआर/विरासत/बउनवान/मदनलाल बनाम दुर्गाशकर गुलाबचंद आदि में पारित निर्णय दिनांक 16.3..2018 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय में पेश की गई।

1 संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि खातेदार मृतक मोडूलाल पुत्र गोविन्दा जाति मीणा निवासी ग्राम आल्याहेडी तहसील कनवास के संयुक्त खाते एवं कब्जे काश्त की ग्राम गरडाना तह0 कनवास में स्थित आराजी ख0 सं0 457 रकबा 2.75 है0 में निहित मृतक के हिस्से का जरिये नामा0 जरिये वसीयत खोलने हेतु दुर्गाशंकर पुत्र रामकिशन मीणा ग्राम आल्याहेडी ने तथा मदनलाल पुत्र गोविन्दा जाति मीणा नि0 ग्राम आल्याहेडी व गुलाबचंद पुत्र किशनलाल मीणा आल्याहेडी ने अन्तकाल वारिस होने के आधार पर खोलने के लिये प्रार्थना पत्र पूर्व में अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने पर बाद जांच अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 24.7.15 को निर्णय पारित कर मदनलाल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 18.5.15 व गुलाबचंद द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना दिनांक 23.5.15 को खारिज कर दुर्गाशंकर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 23.12.2014 को स्वीकार कर मुताबिक वसीयत उक्त आराजी का वसीयतग्रहिता दुर्गाशंकर को खातेदार घोषित किया गया जिससे

अप्रसन्न होकर मदनलाल द्वारा अपील 90/15 इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई। न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय दिनांक 28.3.2017 से अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.7.2015 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार कनवास को पक्षकारान को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने तथा जिरह का अवसर प्रदान कर निर्णय में उल्लेखित तथ्यो के परिपेक्ष्य में पत्रावली में उपलब्ध आधार अभिलेख का समुचित परीक्षण कर पुनः विधिसम्मत निर्णय करने हेतु रिमांड किया गया। रिमांड निर्देशो की पालना में अधीनस्थ न्यायालय ने विवादग्रस्त आराजी में निहित मृतक मोडूलाल पुत्र गोविन्दा जाति मीणा निवासी ग्राम आल्याहेडी की हिस्सा आराजी का उसके सगे भाई मदनलाल पुत्र गोविन्दा मीणा ग्राम आल्याहेडी को खातेदार घोषित किया जाकर मृतक मोडूलाल के स्थान पर उसके विधिक वारिस मदनलाल का नाम खाते में दर्ज किये जाने का दिनांक 16.3.2018 को निर्णय पारित किया गया जिससे व्यथित होकर अपीलांट दुर्गाशंकर द्वारा अपील न्यायालय हाजा में पेश कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि न्याय एवं संचिका में सिद्धि प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का पूर्ण रूप से अवलोकन नहीं किया। नामान्तरकरण की उक्त कार्यवाही में विधि व तथ्यो से भटक कर गवाहो द्वारा पूर्ण रूप से साबित किये जाने के उपरांत भी मात्र विरासत को आधार मानकर त्रुटि की है। नामा0 कार्यवाही एक सरसरी कार्यवाही है जिसमें अधिकार तय नहीं होते है अपीलांट विवादित आराजी का वसीयत के आधार पर कानूनन वारिस है जिसकी सत्यता पूर्ण रूप से साबित है वसीयत की सत्य व असत्यता के बारे मे किसी भी तरह से विश्लेषण करने का अधीनस्थ न्यायालय को कानूनन अधिकार नहीं है ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि के सिद्धांतो के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने क्षेत्राधिकार से परे जाकर निर्णय पारित किया है किसी भी भूमि के संबंध मे खातेदार घोषित करने का अधीनस्थ न्यायालय को क्षेत्राधिकार नहीं है अतः निर्णय में किया गया उक्त विश्लेषण त्रुटिपूर्ण है आरटीए में घोषणा का वाद सक्षम उपखण्ड अधिकारी द्वारा ही सुना व निर्णय किया जा सकता है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक वारिस के नाम नामान्तरण जांच व समुचित दस्तावेजो के आधार पर खोला जाना था विधिक वारिस के अनुसार वसीयत ग्रहीता ही उसका वास्तविक हकदार है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने विधि से विपरीत जाकर निर्णय पारित किया है जो निरस्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 16.3.2018 निरस्त किया जाकर विवादित आराजी का अपीलांट के पक्ष में विधिवत नामान्तरण दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण में बहस अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि न्याय एवं संचिका में सिद्धि प्राप्त तथ्यो के सर्वथा विपरीत है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का पूर्ण रूप से अवलोकन नहीं किया। अपीलांट विवादित आराजी का वसीयत के आधार पर कानूनन वारिस है जिसकी सत्यता पूर्ण रूप से साबित है वसीयत की सत्य व असत्यता के बारे में किसी भी तरह से विश्लेषण करने का अधिनस्थ न्यायालय को कानूनन अधिकार नहीं है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि के सिद्धांतो के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने क्षेत्राधिकार से परे जाकर निर्णय पारित किया है किसी भी भूमि के संबध मे खातेदार घोषित करने का अधीनस्थ न्यायालय को क्षेत्राधिकार नहीं है अतः निर्णय में किया गया उक्त विशलेषण त्रुटिपूर्ण है आरटीए में घोषणा का वाद सक्षम उपखण्ड अधिकारी द्वारा ही सुना व निर्णय किया जा सकता है नामा0 की सरसरी कार्यवाही में स्वत्व का निर्धारण नहीं किया जा सकता अतः अपीलाधीन निर्णय क्षेत्राधिकार से परे होने से निरस्त होने योग्य है। अपने तर्क के समर्थन मे आरआरटी 2011–12 (सुप्रीम) पेज 506 का न्यायिक उद्धरण पेश करते हुये अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त करने का अनुरोध किया।

4 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–1 ने प्रकरण में लिखित बहस पेश की जिसका सार इस प्रकार है न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 28.3.2017 का निर्णय आज तक प्रभावशील है क्योंकि अपीलांट दुर्शाशंकर द्वारा राजस्व मण्डल राज0 अजमेर में अन्तर्गत धारा 84 एलआरएक्ट के अन्तर्गत निगरानी पेश नहीं की इस बिन्दू पर अपील अपीलांट खारिज योग्य है। न्यायालय तहसीलदार कनवास द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.3.2018 विधि अनूकल है। तहसीलदार कनवास ने प्रकरण सं0 2017/37 मे दोनो पक्षो को तलब कर सुना गया है जिसमें वादग्रस्त भूमि खातेदार मोडूलाल, मदनलाल में मृतक खातेदार मोडूलाल के हिस्से की भूमि का विधिक वारिस मोडूलाल सगा भाई मदन को जो रेस्पो0 क्रम–1 को ही वैध वारिस माना है जो राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सं0 2069–2072 से प्रमाणित है अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, गवाहो के साक्ष्य का अवलोकन करने उपरांत निर्णय पारित किया है जिसकी पालना में नामान्तरकरण सं0 466 दिनांक 9.4.2018 रेस्पो0 क्रम–1 के हक में दर्ज कर पटवारी द्वारा निर्णय की पालना की गई है रेस्पो0 क्रम–1 विवादग्रस्त आराजी पर काबिज है। निर्णय में अनरजिस्टर्ड वसीयत के बारे मे स्पष्ट उल्लेख कि कि वसीयत के गवाह श्यामसुन्दर व चरण नामा ने वसीयत के बारे मे विरोधभाषी कथन किया है। इस प्रकार वसीयत को सही सिद्ध होना अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार ने नहीं माना। अपीलांट अनरजिस्टर्ड वसीयत को सिद्ध करने मे असफल रहा है इस बिन्दू पर भी अपील खारिज किये जाने योग्य है इस संबध में आरआरटी 2014–15 (सुप्रीम) पेज 40 पेरा 18, 19, 20 का न्यायिक उद्धरण पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय ने हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार रेस्पो0 क्रम–1 को द्वितीय श्रेणी का मानते हुये विधिक वारिस होने से विरासत अधिकार देने में कोई त्रुटि नहीं की है। आरआरडी 1998 पेज 588 का न्यायिक उद्धरण का उल्लेख किया गया। अपील की मद नं0 4 व 5 में वर्णित तथ्य विधि विपरीत है क्योंकि वसीयत के आधार पर अपने अधिकार तय करना चाहता है तो नियमित वाद के द्वारा सक्षम सिविल न्यायालय में तय करा सकता है आरआरटी 2011 (2) पेज 779–780 व आरआरटी 2003 (1) (एससी) पेज 650–651 को वर्णित कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कनवास द्वारा प्रकरण मे तथ्यों की व न्यायिक सिद्धान्तो पर जांच कर आदेश दिनांक 16.3.2018 पारित किया है जिसकी पालना में इन्तकाल सं0 466 विधि अनुकूल रेस्पो0 क्रम–1 के हक में दर्ज किया गया है अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तथा प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण तथा रेस्पो0 क्रम–1 द्वारा लिखित बहस में वर्णित तथ्यो व नजीरों का आध्योपांत अवलोकन कर बहस पर मनन किया। न्यायालय हाजा द्वारा अपील 90/15 में निर्णय दिनांक 28.3.2017 अनुसार प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पक्षकारान को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने तथा जिरह का अवसर प्रदान कर पत्रावली में उपलब्ध आधार अभिलेख का समुचित परीक्षण कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु रिमांड किया गया था। रिमांड निर्देशो की पालना में अधीनस्थ न्यायालय ने विवादग्रस्त आराजी में निहित मृतक मोडूलाल पुत्र गोविन्दा जाति मीणा निवासी ग्राम आल्याहेडी की हिस्सा आराजी का उसके सगे भाई मदनलाल पुत्र गोविन्दा मीणा ग्राम आल्याहेडी को खातेदार घोषित किया जाकर मृतक मोडूलाल के स्थान पर उसके विधिक वारिस मदनलाल का नाम खाते में दर्ज किये जाने का दिनांक 16.3.2018 को जेरअपील निर्णय पारित किया है। प्रश्नगत प्रकरण में अपीलांट का मुख्य तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का पूर्ण रूप से अवलोकन नहीं किया। अपीलांट विवादित आराजी का वसीयत के आधार पर कानूनन वारिस है जिसकी सत्यता पूर्ण रूप से साबित है वसीयत की सत्य व असत्यता के बारे मे किसी भी तरह से विश्लेषण करने का अधीनस्थ न्यायालय को कानूनन अधिकार नहीं है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि के सिद्धांतो के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने क्षेत्राधिकार से परे जाकर निर्णय पारित किया है किसी भी भूमि के संबध में खातेदार घोषित करने का अधीनस्थ न्यायालय को क्षेत्राधिकार नहीं है अतः निर्णय में किया गया उक्त विशलेषण त्रुटिपूर्ण है आरटीए में घोषणा का वाद सक्षम उपखण्ड अधिकारी द्वारा ही सुना व निर्णय किया जा सकता है। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख एवं जेरअपील निर्णय के अवलोकन से अपीलांट का उक्त तर्क आधारहीन होने से प्रश्नगत प्रकरण मे प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण आरआरटी 2011–12 (सुप्रीम) पेज 506 चस्पा नहीं होते है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व गवाहों के बयानो आदि का समुचित परीक्षण कर विवादग्रस्त आराजी में

निहित मृतक मोडूलाल पुत्र गोविन्दा जाति मीणा निवासी ग्राम आल्याहेडी की हिस्सा आराजी का उसके सगे भाई मदनलाल पुत्र गोविन्दा मीणा ग्राम आल्याहेडी को मृतक मोडूलाल के स्थान पर उसके विधिक वारिस मदनलाल का नाम खाते में दर्ज किये जाने का दिनांक 16.3.2018 को निर्णय पारित किया है। प्रकरण में यह तथ्य भी विवेचनीय है कि नामान्तरकरण की कार्यवाही एक सरसरी कार्यवाही है जिसमें स्वत्व का निर्धारण नहीं किया जाता है। अपीलाधीन निर्णय से अपीलांट यदि किसी प्रकार व्यथित है तो रेगूलर वाद पेश कर अपने हक हकूको का निर्धारण कराने के लिये स्वतंत्र है। उक्त विवेचन अनुसार हम अधीनस्थ न्यायालय के जेरअपील निर्णय दिनांक 16.3.2018 में किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नहीं पाते है। लिहाजा अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।

6 परिणाम स्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है।

7 निर्णय आज दिनांक 8.8.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा